संख्या-77/2015/आर.एफ.735/नौ-9-15-09आर.एफ./15

पेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत,
डुमरियागंज, जनपद-सिद्धार्थनगर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 21 जुलाई,2015 ,

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में नया सवेरा नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-आर.एफ;308/नौ-9-2015-09आर.एफ./15 दिनांक 25 मार्च 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायत डुमरियागंज हेतु रू0 01,05,39,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 52,69,500/- (रूपये बावन लाख उन्हत्तर हजार पॉच सौ मात्र) अवमुक्त की गयी। **नगर पंचायत, डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर** ने उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 50 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग करते हुये अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश संख्या-आर.एफ. 308/नौ-9-2015-09आर.एफ./15 दिनांक 25 मार्च 2015 में उल्लिखित शर्तो के अन्तर्गत नगर पंचायत, डुमरियागंज को अवशेष धनराशि कुल रू0 52,69,500/- **(रूपये बावन लाख उन्हत्तर हजार पॉच सौ मात्र)** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -:

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-83 आयोजनागत लेखा शीर्षक 6215-जल पूति तथा सफाई के लिये कर्ज-02-मलजल तथा सफाई-789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03 नया सवेरा नगर विकास योजना-0303 नगर पंचायतें-30 निवेश/ऋण ' के नामे डाला जायेगा।

(2) सम्बन्धित निकाय द्वारा चालू कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य

कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त् स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2016 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) संख्या-आर.एफ. 308/नौ-9-2015-09आर.एफ. /15 दिनांक 25 मार्च 2015 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-15-231/15 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-77/2015/आर.एफ.735(1)/नौ-9.2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, सिद्वार्थनगर ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. सम्बन्धित नगर पंचायत, अध्यक्ष, उ0प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8
10. गार्ड फाइल।
11. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

o/c

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-21/07/2015

प्रेषण संख्या:- 77-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 001-77-2015-RF734-9-9-15-09RF-15
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
03 - नया सवेरा नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	**अधिकारी/जनपद का नाम**		30-निवेश/ऋण	**योग**
1	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5269500 40407500	5269500 40407500
	योग	वर्तमान प्रगामी	5269500 40407500	5269500 40407500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ चार लाख सात हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी